छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2010
(फाल्गुन-4, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 तथा 11 से 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री बोधराम कंवर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 09 एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त-

(i) वित्त लेखे वर्ष 2008-2009 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009 (छत्तीसगढ़ शासन)

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले के विधान सभा क्षेत्रों में विकास निधि से हुए कार्यों का भुगतान न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने कोरबा नगर की शासकीय भूमि में हेराफेरी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने रायपुरा के वार्ड न. 36 में शाला भवन हेतु आरक्षित भूमि पर सामुदायिक भवन के निर्माण किए जाने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने शाला भवन निर्माण में अनियमितता की जाने, तथा

(3) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिया जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री महंत रामसुंदर दास सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत :-

(i) ग्राम बम्हनीडीह मुख्य मार्ग से करनौद-बरकुट-चोरदेवरी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम तालदेवरी से चोरहादेवरी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम कपिस्दा-बावनबुड़ी से बेलकर्री तक पक्की सड़क एवं सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(iv) ग्राम कपिस्दा से बंसुला तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(v) ग्राम मुलीडीह से कचन्दा तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(vi) ग्राम भातमाहुल से बोराईडीह-बरदुली तक पक्की सड़क एवं बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम बन्सुला से पुल तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(viii) ग्राम बैहागुड़रू से कैथा तक पक्की सड़क एवं सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(ix) ग्राम मिरौनी से ग्राम मरघट्टी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(x) ग्राम मरघट्टी से कन्हाईबन्ध-भागोडीह तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने, तथा

(xi) ग्राम धीवरा से सोनादाह तक पक्की सड़क एवं नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत की ।

6. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल,

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, टी.एस.सिंहदेव, डॉ.सुभाऊ कश्यप, अग्नि चंद्राकर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, रामदयाल उइके,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दयालदास बघेल, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम।

सायं 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा